

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाडा (राज.)

2025/31 ✓

क्रिसम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	19/25	17/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवधान

श्री बाबूलाल पुर जौखा

श्री रामा पुर कजौड

निवासी लोइदा

निवासी लोइदा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री M.K.D.

श्री

20/11/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 19/25

तारीख दायर 17/11/25

बाबूलाल पुत्र जोखा जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रागा पुत्र कजोड़ जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र देबी जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी बांका तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कन्नु पत्नि बाबूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भोजराज पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 24/11/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांकलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम लोड़दा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 75 पर अंकित आराजी संख्या 1217/561, 561, 397/561 कुल किता 3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

21/11/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

संख्या - 19/25

तारीख दायर 17/2/25

ति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

संख्या :- प्रकरण संख्या 19 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

बाबूलाल पुत्र जोखा जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामा पुत्र कजोड़ जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र देबी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बांका तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कन्नु पत्नि बाबूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भोजराज पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी लोड़दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम लोड़दा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 75 पर अंकित आराजी संख्या 1217/561, 561, 397/561 कुल कित्ता 3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियांकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ